

आदेशः

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर-कन्द्रीय क्षेत्र) 25 सुभाष रोड देहरादून के पत्र सं० 8वीं/यू०सी०पी०/०६/ 94/2019/एफ०सी०/1778 दिनांक 08.11.2019 के द्वारा जनपद-टिहरी गढ़वाल के जौनपुर विकास खण्ड में मरोड़ से बनाली मोटर मार्ग के कि०मी० 3 से कुण्ड 8.125 कि०मी० तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 5.1415 है० वन भूमि का गैर वाणिज्यिक कार्य हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन के फलस्वरूप क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु ग्राम कुण्ड पट्टी सकलाना की 10.283 है० सिविल भूमि (उत्तराखण्ड सरकार के स्वामित्व) का हस्तान्तरण वन विभाग के पक्ष में किये जाने हेतु उप जिलाधिकारी धनोल्ती के पत्र संख्या-23/२०का० (भूमि हस्तान्तरण) -20, दिनांक धनोल्ती, 24 जनवरी 2020 के अन्तर्गत तहसील धनोल्ती की भूमि निम्नवत् प्रस्तावित की गई है।

ग्राम	पट्टी	खाता संख्या	खसरा संख्या	अर्जित रकबा (है० मे)	भूमि की किस्म
1	2	3	4	5	6
कुण्ड	सकलाना	14	1485	5.617 है०	उत्तराखण्ड सरकार
			1513 मध्ये	4.666 है०	वर्ग 9(3) ड.
				10.283 है०	

प्रस्तावित मरोड़ से बनाली मोटर मार्ग के कि०मी० 3 से कुण्ड 8.125 कि०मी० तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु क्षतिपूर्क वृक्षारोपण के दृष्टिगत शासनादेश संख्या -2882/XVIII(II)/ 11-18(120)/2010 राजस्व अनुभाग-2 दिनांक 11 नवम्बर 2011 एवं शासनादेश संख्या -2365/XVIII(II)/13-18 (120)/2010 टी०सी० दिनांक 14 अक्टूबर 2013 के द्वारा प्राप्त दिशा-निर्देशानुसार प्रस्तावित वन भूमि के सापेक्ष दुगुनी सिविल भूमि वन विभाग के नाम प्रत्यावर्तित किया जाना है। यह आदेश मा० उच्चतम न्यायालय/मा० उच्च न्यायालय एवं उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत आदेशों के अधीन होगा, तथा याचक विभाग को निर्गत आदेश का अनुपालन करना होगा।

अतएव शासनादेश संख्या 2173/XVIII(II)/2012-18(120)/2010 राजस्व अनुभाग -2 दिनांक 17 दिसम्बर 2012 के क्रम में उप जिलाधिकारी धनोल्ती के द्वारा प्रस्तावित किये गये ग्राम कुण्ड पट्टी सकलाना के खाता संख्या-14 के खसरा नम्बर 1485 रकबा 5.617 है० एवं खसरा नम्बर 1513 मध्ये 4.666 है० कुल रकबा 10.283 है० (दस दशमलव दो आठ तीन है०) श्रेणी 9(3) ड. (राजस्व विभाग के नियन्त्रणाधीन) सिविल भूमि उल्लिखित शासनादेशों के आलोक में व्यापक जनहित के दृष्टिगत वन विभाग उत्तराखण्ड के पक्ष में क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु अन्तरित की जाती है। तहसीलदार धनोल्ती तत्काल उक्त भूमि को राजस्व अभिलेखों में नामान्तरित / इन्दाजी करना सुनिश्चित करें।

यह आदेश मा० उच्चतम न्यायालय/मा० उच्च न्यायालय एवं उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत आदेशों के अधीन होगा, तथा याचक विभाग को निर्गत आदेश का अनुपालन करना होगा।

पंजीक सं०- 08

वर्ष 2019-20

क्रमा. XI मि. 128

दिनांक सं० (2019-20)

पत्र सं० 2206/17-3-20

कार्यालय जिला अधिकारी टिहरी गढ़वाल।

संख्या- 507/XI-128(2018-19) दिनांक नई टिहरी, फरवरी, 17.2.2020

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- सचिव, वन विभाग उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
- 2- आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद देहरादून।
- 3- आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 4- नोडल अधिकारी, वन भूमि हस्तान्तरण वन विभाग उत्तराखण्ड देहरादून।
- 5- प्रभागीय वनाधिकारी मसूरी वन प्रभाग मसूरी।
- 6- अधिशासी अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई०, (लो०नि०वि०) सिंचाई खण्ड-2 नई टिहरी।
- 7- उप जिलाधिकारी धनोल्ती।
- 8- तहसीलदार धनोल्ती को अनुपालनार्थ प्रेषित।

21. 11
(डा०वी०षण्मगम)
जिला अधिकारी
टिहरी गढ़वाल।
nk

21. 11
जिला अधिकारी
टिहरी गढ़वाल।
nk

आज दिनांक 04/03/2020 को जनपद - टिही गढ़वाल के जौपुर जौनपुर
 विकासखण्ड के अन्तर्गत रायपुर - कुमालडा - कदूखाल मोटर मार्ग के
 कि०मी० 35 से घेना तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.0826 हे०
 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों के लिए पी०एन० जी०एन० वाई,
 सि०अ०-2 नई टिही, को प्रत्यार्पित के फलस्वरूप राजस्व विभाग
 के तक्षम अधिकारियों द्वारा आवंटित क्षतिपूर्त वृक्षाोपण हेतु
 ग्राम घेना के हाल खाता सं० - 11 खाता नम्बर - 304 एकबा 2.101 हे०
 खाता सं० - 391 एकबा 0.260 हे० एवं खाता सं० - 420 एकबा 0.718 हे०
 कुल एकबा 3.079 हे० ~~अनुमति~~ (नरेन्द्र नगर वन प्रभाग के अन्तर्गत)
 एवं उत्तराखण्ड सरकार अधिनियम 9(3) इ (राजस्व विभाग के नियन्त्राधीन)
 कृषि योग्य बंजर भूमि हैं। वन क्षेत्राधिकारी सकलाना रैंज द्वारा
 सम्बन्धित अनुभाग अधिकारी एवं बीट अधिकारी द्वारा मौके पर
 राजस्व विभाग द्वारा निर्दिष्ट क्षतिपूर्त वृक्षाोपण हेतु व्ययित भूमि
 को अपने कब्जे में ले ली गई है।


 J. K.
 PmGSY
 ID 2 New Tehri


 राजेन्द्र सिंह
 लखन - एनोलेजिस्ट


 राजेन्द्र सिंह
 लखन - एनोलेजिस्ट
 04/03/2020


 राजेन्द्र सिंह
 लखन - एनोलेजिस्ट

अमलदामद भूमि कब्जे में लेने सम्बन्धी प्रमाण-पत्र

जनपद-टिहरी गढ़वाल के जौनपुर विकासखण्ड के अन्तर्गत रायपुर-कुमाल्डा कददूखाल मोटर मार्ग के किमी 0.35 से घेना तक मोटर मार्ग तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.0826 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों के लिए पी०एम०जी०एस०वाई० सि०ख०-2, नई टिहरी, नई टिहरी को प्रत्यावर्तन के फलस्वरूप राजस्व विभाग के सक्षम अधिकारियों द्वारा आबंटित क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम घेना के हाल खाता संख्या-11 के खसरा नम्बर 291 रकबा 1.048 हे०, खसरा नम्बर 301 रकबा 0.336 हे० खसरा नम्बर 304 रकबा 2.101 हे०, खसरा नम्बर 391 रकबा 0.260 हे० एवं खसरा नं०- 420 रकबा 0.718 हे० कुल रकबा 4.463 हे० मध्ये 4.165 हे० उत्तराखण्ड सरकार श्रेणी 9(3) ड(राजस्व विभाग के नियन्त्राधीन) कृषि योग्य बंजर भूमि है। वन क्षेत्राधिकारी रायपुर रेंज द्वारा मौके पर राजस्व विभाग द्वारा चिन्हित क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित भूमि को अपने कब्जे में ले ली गई है। जिसके फलस्वरूप उक्त प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है।

myl
02/02/2020
राजस्व उपनिरीक्षक
लवाखा
राहलीक - घनोल्टी
टिहरी गढ़वाल

प्रमाणित है
कड.

निमित्तकार
निमित्तकार
(निमित्तकार वनोदर कर्षिणी
गठवर)

निमित्तकार
निमित्तकार

परियोजना का नाम	:- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अर्न्तगत जनपद टिहरी के जौनपुर विकास खण्ड में रायपुर-कुमाल्डा-कदुखाल मोटर मार्ग कि०मी० 35 से घेना गांव मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।
-----------------	--

परियोजना में कार्यरत श्रमिकों को भिट्टी तेल/रसोई गैस उपलब्ध कराये जाने प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण कार्यरत श्रमिकों को रसोई गैस/कैरोसिन तेल की आपूर्ति उपलब्ध करायी जायेगी।



कनिष्ठ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
खण्ड सिंचाई-२ नई टिहरी



सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
खण्ड सिंचाई-२ नई टिहरी



अधिशासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
खण्ड सिंचाई-२ नई टिहरी

परियोजना का नाम :-	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अर्न्तगत जनपद टिहरी के जौनपुर विकास खण्ड में रायपुर-कुमालडा-कदुखाल मोटर मार्ग कि०मी० 35 से घेना गांव मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।
--------------------	--

परियोजना का प्रस्ताव में दर्शाये उद्देश्य के लिये वन भूमि प्रयोग प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिये वन भूमि प्रयोग नहीं किया जायेगा।



कनिष्ठ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
खण्ड सिंचाई-२ नई टिहरी



सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
खण्ड सिंचाई-२ नई टिहरी



अधिशाली अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
खण्ड सिंचाई-२ नई टिहरी

परियोजना का नाम	:- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अर्न्तगत जनपद टिहरी के जौनपुर विकास खण्ड में रायपुर-कुमालडा-कददुखाल मोटर मार्ग कि०मी० 35 से घेना गांव मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।
-----------------	--

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना के निर्माण के पश्चात जहाँ-जहाँ सम्भव हो प्रयोक्ता अभिकरण अपने व्यय पर वन विभाग की देख रेख में Strip Plantation किया जायेगा अथवा Strip Plantation हेतु धनराशि वन विभाग के पक्ष में स्थानान्तरित कर दी जायेगी।



कनिष्ठ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
खण्ड सिंचाई-२ नई टिहरी



सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
खण्ड सिंचाई-२ नई टिहरी



अधिशासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
खण्ड सिंचाई-२ नई टिहरी

परियोजना का नाम	:- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अर्न्तगत जनपद टिहरी के जौनपुर विकास खण्ड में रायपुर-कुमाल्डा-कददुखाल मोटर मार्ग कि०मी० 35 से घेना गांव मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।
-----------------	---

परियोजना में उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना में उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रस्ताव में संलग्न मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय देख-रेख में अथवा प्रयोक्ता अभिकरण चाहे तो वन विभाग द्वारा किया जा सकता है। निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र नहीं फेंका जायेगा।



कनिष्ठ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
खण्ड सिंचाई-२ नई टिहरी



सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
खण्ड सिंचाई-२ नई टिहरी



अधिशाली अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
खण्ड सिंचाई-२ नई टिहरी

परियोजना का नाम	:- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अर्न्तगत जनपद टिहरी के जौनपुर विकास खण्ड में रायपुर-कुमाल्डा-कददुखाल मोटर मार्ग कि०मी० 35 से घेना गांव मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।
-----------------	---

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता कि परियोजना में यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम / अनुच्छेद / नियम / न्यायालय आदेश / अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना प्रयोक्ता विभाग की जिम्मेदारी होगी। तथा अन्य कोई भी शर्त जो कि भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीव के संरक्षण हेतु आवश्यक प्रयोक्ता विभाग उक्त शर्तों का अनुपालन करेगा।



कनिष्ठ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
खण्ड सिंचाई-२ नई टिहरी



सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
खण्ड सिंचाई-२ नई टिहरी



अधिशाली अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
खण्ड सिंचाई-२ नई टिहरी

भूमेष्ट भूयन् नो य-११

११/११
६ (३) ३- ११/११
२१/११
११/११

[illegible]

ਮੂਲੇਖ ਪ੍ਰਪਤਰ ਸੰ0 ਪ-11 ਸ਼ੇਰਜੀ ਦੀ (3) ਡ- ਗ੍ਰਾਫਿ ਯੋਗਤਾ ਅੰਗਤ ਭੂਮਿ-

मूलख प्रपत्र सं० प-11 शेराई ई(3)ई-शराई चौक के जल अंश-			
11	उत्तराखण्ड शराई हाल	1	0.053
	ई(3)ई शराई चौक वनो	15	0.013
	के जल अंश 1	17	0.004
		22	0.005
		↓	↓
		280	0.005
		291	1.048
		296	0.019
		298	0.018
		301	0.336
		304	2.101
		306	0.099
		↓	↓
		390	0.070
		391	0.260
		393	0.015
		↓	↓
		411	0.150
		420	0.718
		422	0.698
		↓	↓
		2747	0.098
		2748	0.080
		1640	0.023
		2756	
	योग	303	70.539

1427 फं आदेश - मुताबिक आदेश शरमान जिलाधिकारी महोदय
 दिवसी जलबाल के आदेश सं० - 522/ख-131 (2019-20) दि०
 लई दिवसी फरवरी 19, 2020 पर आदेश सं० - 2173/ख/11
 (11)/2012-18 (120)/2010 राजस्व अनुभाग - 2, दिनांक 17
 दिसम्बर 2012 के अनुसार शराई - शेराई के जल अंश 20 (वर्ग)
 जाला सं०-11 के अनुसार जल 291 मीटर 0.750 है, 301-0.336,
 304-2.101, 391-0.260, 420-0.718 है कुल 4.165 है अंश
 वन विभाग उत्तराखण्ड के पक्ष के क्षतिपूर्त प्रदायक है अंश
 दर्ज किया।

मुय्यल
 शांतिपुर
 लवाखा/मुय्यल

मुताबिक आदेश के नकल तैयार की।

22/12/2020
 राजस्व उपनिरीक्षक
 लवाखा
 गजोली

पी०एस०यू० (आर०ई०) ०३ राजस्व परिषद्/६८-१४-६-२०१० (प-११) १,००,००० फाम (कम्प्यूटर/ऑफसेट)।

22/12/2020
राजस्व उपनिरीक्षक
ल्वारखा
बकसील - धनोली

परियोजना क्षेत्र में विद्यमान वृक्षों में से कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किया जाने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाले कुल (69+115 मसूरी वन प्रभाग, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग) वृक्षों में से वास्तविक रूप से कम से कम वृक्षों का पातन किया जायेगा।



कनिष्ठ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
खण्ड सिंचाई-२ नई टिहरी



सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
खण्ड सिंचाई-२ नई टिहरी



अधिशाली अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
खण्ड सिंचाई-२ नई टिहरी

परियोजना का नाम	:- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अर्न्तगत जनपद टिहरी के जौनपुर विकास खण्ड में रायपुर-कुमाल्डा-कदुखाल मोटर मार्ग कि०मी० 35 से घेना गांव मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।
-----------------	--

एन०पी०वी० जमा कराये जाने का प्रमाण-पत्र

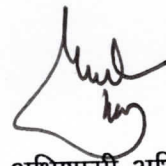
प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना में एन०पी०वी० की देय धनराशि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन विभाग के पक्ष में जमा करा दी गई है। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में मा० उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा एन०पी०वी० की वर्तमान दरों में कोई बढ़ोत्तरी की जाती है तो एन०पी०वी० की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन विभाग की माँग के अनुसार किया जायेगा।



कनिष्ठ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
खण्ड सिंचाई-२ नई टिहरी



सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
खण्ड सिंचाई-२ नई टिहरी



अधिशसी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
खण्ड सिंचाई-२ नई टिहरी

क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद टिहरी में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत रायपुर-कुमालडा-कदुखाल मोटर मार्ग कि०मी० 35 से घेना गांव मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु प्रभावित वनभूमि जिसका क्षेत्रफल 2.0825 है० है, के हस्तान्तरण मामले में प्रभागीय वनाधिकारी, द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित दोगुने क्षेत्र 4.165 है० सिविल सोयम भूमि मौजा घेना का दिनांक 4 Dec, 2019 को स्थलीय निरीक्षण किया गया तथा इस सम्पूर्ण क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र 4.165 है० में हरियाली का घनत्व 0.4 से कम है, जो क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है, जिसमे 1000 पौध प्रति है० वृक्षारोपण कार्य किया जा सकता है।


J.E.


सहायक अभियन्ता - वन
पीएमजीएसओवाई, सि०ख०-
नई टिहरी

Harman Ram वरुण
(धरम राम वनरक्षक)
लादल प्रथम वीर


प्रभु सिंह
व.स.न.
रामपुर
C/S


वन क्षेत्राधिकारी
रायपुर रेंज,
मसूरी वन प्रभाग


उप प्रभागीय वनाधिकारी
देहरादून
मसूरी वन प्रभाग


प्रभागीय वनाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग
मसूरी

परियोजना का नाम	:- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अर्न्तगत जनपद टिहरी के जौनपुर विकास खण्ड में रायपुर-कुमालडा-कददुखाल मोटर मार्ग कि०मी० 35 से घेना गांव मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।
-----------------	--

वन्य जीव/वनस्पतियों को क्षति न पहुँचाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना के निर्माण कार्य/रख-रखाव के दौरान वन्य जीवों/स्थानीय वनस्पतियों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जायेगा।



कनिष्ठ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
खण्ड सिंचाई-२ नई टिहरी



सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
खण्ड सिंचाई-२ नई टिहरी



अधिशाली अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
खण्ड सिंचाई-२ नई टिहरी

प	योजना का नाम	:- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अर्न्तगत जनपद टिहरी के जौनपुर विकास खण्ड में रायपुर-कुमाल्डा-कदुखाल मोटर मार्ग कि०मी० 35 से घेना गांव मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।
---	--------------	--

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता विभाग द्वारा वन भूमि की विधिक परिस्थिति में कोई बदलाव नहीं किया जायेगा।



कनिष्ठ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
खण्ड सिंचाई-२ नई टिहरी



सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
खण्ड सिंचाई-२ नई टिहरी



अधिशासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
खण्ड सिंचाई-२ नई टिहरी

Scanned with CamScanner

R.B. झाँकड़ा 20-2-20

आदेशः

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर-कन्द्रीय क्षेत्र) 25 सुभाष रोड देहरादून के पत्र सं० 8वीं/यू०सी०पी०/०६/६३/२०१९/एफ०सी०/२११२ दिनांक १७.१२.२०१९ के द्वारा जनपद-टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत रायपुर-कुमाल्डा मोटर मार्ग कि०मी० ३५ से घेना गांव मोटर मार्ग के निर्माण हेतु २०८२५ है० वन भूमि पर गैर वानिकी कार्यों के दृष्टिगत ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन के फलस्वरूप क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु ग्राम घेना पट्टी सकलाना की ४.१६५ है० सिविल भूमि (उत्तराखण्ड सरकार के स्वागित) का हस्तान्तरण वन विभाग के पक्ष में किये जाने हेतु उक्त के क्रम में उप जिलाधिकारी धनोली के पत्र संख्या-२२/रजि०का० (जांच) - २०, दिनांक धनोली, २४ जनवरी २०२० द्वारा ग्राम घेना पट्टी सकलाना की भूमि निम्नवत् प्रस्तावित की गई है।

ग्राम	पट्टी	खाता संख्या	खसरा संख्या	अर्जित रक्बा (है०मी)	भूमि की किस्म
१	२	३	४	५	६
घेना	सकलाना	११	२९१ मध्ये	०७५० है०	उत्तराखण्ड सरकार वर्ग ९(३)ड.
			३०१	०.३३६ है०	
			३०४	२.१०१ है०	
			३९१	०.२६० है०	
			४२०	०.७१८ है०	
योग-				४.१६५ है०	

प्रस्तावित रायपुर-कुमाल्डा मोटर मार्ग कि०मी० ३५ से घेना गांव मोटर मार्ग के निर्माण हेतु क्षतिपूर्क वृक्षारोपण के दृष्टिगत शासनादेश संख्या -२८८२/४४४४(४४)/ ११-१८(१२०)/२०१० राजस्व अनुभाग-२ दिनांक ११ नवम्बर २०११ एवं शासनादेश संख्या -२३६५/४४४४(४४)/१३-१८ (१२०)/२०१० टी०सी० दिनांक १४ अक्टूबर २०१३ के द्वारा प्राप्त दिशा-निर्देशानुसार प्रस्तावित वन भूमि के सापेक्ष दुगुनी सिविल भूमि वन विभाग के नाम प्रत्यावर्तित किया जाना है। यह आदेश मा० उच्चतम न्यायालय/मा० उच्च न्यायालय एवं उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत आदेशों के अधीन होगा, तथा याचक विभाग को निर्गत आदेश का अनुपालन करना होगा।

अतएव शासनादेश संख्या २१७३/४४४४(४४)/२०१२-१८(१२०)/२०१० राजस्व अनुभाग -२ दिनांक १७ दिसम्बर २०१२ के क्रम में उप जिलाधिकारी धनोली के द्वारा प्रस्तावित किये गये ग्राम घेना पट्टी सकलाना के खाता संख्या-११ के खसरा नम्बर २९१ मध्ये रक्बा ०.७५० है०, खसरा ३०१ रक्बा ०.३३६ है०, खसरा ३०४ रक्बा २.१०१ है०, ३९१ रक्बा ०.२६० है०, ४२० रक्बा ०.७१८ है०, कुल ४.१६५ है० (चार दशमलव एक छः पांच है०) श्रेणी ९(३)ड. (राजस्व विभाग के नियन्त्रणाधीन) सिविल भूमि उल्लिखित शासनादेशों के आलोक में व्यापक जनहित के दृष्टिगत वन विभाग उत्तराखण्ड के पक्ष में क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु अन्तर्गत की जाती है। तहसीलदार धनोली तत्काल उक्त भूमि को राजस्व अभिलेखों में नामान्तरित/इन्द्राजी करना सुनिश्चित करें।

२०.१.२०
(डा० वी० षण्मुगम)
जिला अधिकारी
टिहरी गढ़वाल।

कार्यालय जिला अधिकारी टिहरी गढ़वाल।
संख्या-५२२/४४४४(४४) (२०१९-२०) दिनांक, नई टिहरी, फरवरी, १९, २०२०
प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
१- सचिव, वन विभाग उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
२- आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद देहरादून।
३- आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
४- नोडल अधिकारी, वन भूमि हस्तान्तरण वन विभाग उत्तराखण्ड देहरादून।
५- प्रभागीय वनाधिकारी नरेन्द्रनगर वन प्रभाग मुनिकीरेती/ मसूरी।
६- अधिशासी अभियन्ता, पी० एम० जी० एस० वाई०, सि० ख०-२ नई टिहरी।
७- उप जिलाधिकारी धनोली।
८- तहसीलदार धनोली को अनुपालनार्थ प्रेषित।

२१.१.२०
जिला अधिकारी
टिहरी गढ़वाल।

पं. सं. ०८
१९.२.२०

१३१